न्यायालयः— अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, उदाकिशुनगंज

परिवाद सं0—333 / 11

08-05-2023

थानाध्यक्ष चौसा द्वारा परिवाद सं0—333 / 11 के आलोक में प्रतिवेदित किए है कि उक्त परिवाद को धारा—156(3) द0प्र0स0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज पूर्व मे किया जा चुका है तथा कांड पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन सं0—84 / 12 दि0—28.07.2012 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मधेपुरा के न्यायालय में असत्य समर्पित किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति साथ में संलग्न है। देखा।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वाद संबंधित थाना से धारा— 156(3) द0प्र0स0 के अंतर्गत प्राथमिकी प्राप्ति हेतु लंबित चला आ रहा था जबकि अनुसंधानकर्त्ता द्वारा पूर्व मे ही अंतिम प्रतिवेदन सं0—84 / 12 दि0—28.07.2012 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मधेपुरा के न्यायालय मे असत्य समर्पित किया जा चुका है अतः परिवाद को आगे चलाना न्यायोचित प्रतित नही होता है। तदनुसार परिवाद पत्र को विचारण पंजी से हटाया जाता है। तथा वाद की अग्रिम कारवाई समाप्त किया जाता है।

कार्यालय लिपिक अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागर में जमा करे।

लेखापित

अनु0 न्या0 दण्डा0